प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 115/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Satyanarayan Verma Add. Village Rajwas, Niwai, Tonk, Rajasthan
...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर
..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329566864052774 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सिलिकोसिस योजना से संबंधित सूचना की प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9081992408 दिनांक 22.07.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/115/24/999–1000 दिनांक 22.07.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर(शहर) द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः एफ.( )सामान्य /सिलिकोसिस/2024/815 दिनांक 29.08.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 661 दिनांक 01.08.024 द्वारा अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर) उदयपुर को सूचना प्रेषित कर दी गई थी जिसे अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर) उदयपुर के कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड़ भी की जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 815 दिनांक 29.08.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 01.08.2024 स्वयं ही पत्राचार करते हुए चाही गई वांछित सूचना के संबंध में विशिष्ठीया अर्थात पत्रावली संख्या आवेदक का नाम नाम मय सूची आदि अंकन नहीं किया गया है। अतः वांछित दस्तावेजों के संबंध में विशिष्ठीया कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन कर सूचना दस्तावेज चिन्हित किये जाने पर वांछित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब प्रदान की जा सकेगी।

अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में किसी विशिष्ट पत्रावली संख्या का अंकन नहीं कर सम्पूर्ण सिलिकोसिस रिकार्ड फाईल की प्रतिलिपि चाही गई थी। बिन्दु संख्या 2 में योजना के आरांभ से दिनांक 23.02.2024 तक कुल भुगतान के लिए स्वीकृत मृत्यु आवेदन की सूची की प्रति तथा बिन्दु संख्या 3 में योजना के आरंभ से दिनांक 23.02.2024

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तक कुल सिलिकोसिस पीड़ित जीवीत भुगतान के लिए स्वीकृत जीवित आवेदन की सूची मय रेकर्ड की प्रति चाही गई थी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति विशेष के संबंध में सूचना नहीं चाही जाकर सम्पूर्ण सिलिकोसिस पत्रावली की सूचना चाही गई है जिसमें किसी विशिष्टीया या पत्रावली संख्या की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचंना अधिकारी अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर) उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर) को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर